



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 127] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 16, 1978/फाल्गुन 25, 1899
No 127] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 16 1978 PHALGUNA 25, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

इसका उद्देश्य खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अधीक्षक

नई दिल्ली 16 मार्च, 1978

क्र. आ. 176(अ).—मृत्युमिन्निचम (नियंत्रण) आदेश 1970 के धारा 4 के
अनुसरण में, केंद्र सरकार उस अधिसूचना के साथ लगी अनुसूची में उल्लिखित पिंडों
बिलेटों, तार छंटों और तार सलाखों सहित लेवी मृत्युमिन्निचम का वित्तीय मूल्य नियत
करती है।

2. भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) के तारीख 15 अगस्त, 1975 के क्र. आ. 358(इ) के एतद्वारा रद्द किया जाता है।

अनुसूची

भा. मा. विशिष्ट	मूल्य रु. टन
1. पिण्ड भा. मा. वि. के अनुरूप 4026-1969	7,100
2. पिण्ड भा. मा. वि. के अनुरूप 2590-1964	7,100
3. तार छड़/बिलेट भा. मा. वि. के अनुरूप 4026-1969	7,300
4. तार सलाखें भा. मा. वि. के अनुरूप 5484-1969	7,610

[सं. 5(31)/78-धातु-1]

के. शिवरामकृष्णन्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 1978

S.O. 176(E).—In pursuance of clause 4 of the Aluminium (Control) Order, 1970, the Central Government hereby fixes the sale price of levy aluminium, including ingots, billets, wire bars and wire rods, as specified in the Schedule appended to this notification.

2. The notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S.O. 358(F) dated the 15th July, 1975 is hereby rescinded.

SCHEDULE

ISI Specification	Price per tonne
1. Ingots conforming to specification IS : 4026-1969	Rs. 7,100
2. Ingots conforming to specification IS : 2590-1964	Rs. 7,100
3. Wire bar/billet conforming to specification IS : 4026-1969	Rs. 7,300
4. Wire rods conforming to specification IS : 5484-1969	Rs. 7,610

[सं. 5(31)/78 Met.I]

K. SIVARAM KRISHNAN, Jt. Secy.